न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 120 सन 2021

अनवान :–

1. सतवीर पुत्र ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. श्योराम पुत्र रामजस जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
2. गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम (फोत)
   2/1. पप्पु पुत्री गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   2/2. महेन्द्र पुत्र गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सन्तरों पुत्री रामजस पत्नी ओमप्रकाश जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. महावीर पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. शार्दुल पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. निराणी पत्नी ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री ताराचन्द (फोत)
   8/1. धापादेवी पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
   8/2. सुमन पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
   8/3. मंन्जू पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
   8/4. समेस्ता पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
   8/5. पुष्पा पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
   8/6. अजयसिह पुत्र राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
9. रामली पुत्री ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
10. तिजा पत्नी शिशपाल पुत्र ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. मोहनी पत्नी हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
12. मुखाराम पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
13. शारदा पुत्री हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
14. शितल पुत्री हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
15. विमला पत्नी राजेन्द्र पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
16. सुनील पुत्र राजेन्द्र पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
17. विमला पत्नी दलीप जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
18. जगदीश पुत्र दलीप जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
19. गिरदावरी पुत्री दलीप पत्नी शंकरलाल जाति धानक निवासी कुंजी तहसील भादरा
20. मंन्जू पुत्री दलीप पत्नी पुरखाराम जाति धानक निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
21. लिछमा पत्नी कृष्ण जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
22. राजेश कुमार पुत्र कृष्ण जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

23. कालू पुत्र कृष्ण जाति धानक साकिन खोपडा (फोत)

23/1 रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

23/2 प्रियंका पुत्री कालूराम नाबालिग जरिये वली माता रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

23/3 कार्तिक पुत्र कालूराम नाबालिग जरिये वली माता रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

24. सुमन पुत्री कृष्ण पत्नी सुभाष जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 8/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक ,खाता संख्या 113/112 की कुल 4. 8560हैक रोही मौजा ललानवास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के पूर्वजो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में रामजस पुत्र प्रेमाराम एवं गोरादेवी पत्नी रामजस के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द, हरिसिह, दलीप, कृष्ण पुत्र रामजस कुल 8 वारिस है जिसमें से चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द , हरिसिह , दलीप , कृष्ण पुत्र रामजस का देहान्त हो चुका है चन्दो पुत्री रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 , ताराचन्द पुत्र रामजस के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 व शिशपाल है , शिशपाल फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 10 है हरिसिह पुत्र रामजस के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 एवं राजेन्द्र पुत्र. हरिसिह है राजेन्द्र फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ,16 है दलीप पुत्र रामजस के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 है कृष्ण पुत्र रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 है।

इसप्रकार रामजस पुत्र प्रेमाराम एवं गोरादेवी पत्नी रामजस के देहान्त होने के वाद उसके पुत्र/पुत्रीयों में पुत्र/पुत्रीयो कें देहान्त होने के बाद जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 की बहने /पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के पूर्वजो के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने एव उनके वारिसान पुत्र/पुत्रीयों के देहान्त होने पर वर्तमान में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 जीवीत वारिसान है जो अपने पूर्वजों के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 25 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक ,खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक रोही मौजा ललानवास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के पूर्वजो के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में रामजस पुत्र प्रेमाराम एवं गोरादेवी पत्नी रामजस के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द, हरिसिह, दलीप, कृष्ण पुत्र रामजस कुल 8 वारिस है जिसमें से चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द , हरिसिह , दलीप , कृष्ण पुत्र रामजस का देहान्त हो चुका है चन्दो पुत्री रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 , ताराचन्द पुत्र रामजस के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 व शिशपाल है , शिशपाल फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 10 है हरिसिह पुत्र रामजस के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 एवं राजेन्द्र पुत्र. हरिसिह है राजेन्द्र फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ,16 है दलीप पुत्र रामजस के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 है कृष्ण पुत्र रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 है।

इसप्रकार रामजस पुत्र प्रेमाराम एवं गोरादेवी पत्नी रामजस के देहान्त होने के वाद उसके पुत्र/पुत्रीयों में पुत्र/पुत्रीयो कें देहान्त होने के बाद जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 की बहने /पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 112/111 की कुल 10.7480हैक ,खाता संख्या 113/112 की कुल 4.8560हैक रोही मौजा ललानवास दिखनादा के खाता संख्या 268/127 की कुल 10.2940हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के पूर्वजो के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वर्तमान जमाबन्दी में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में रामजस पुत्र प्रेमाराम एवं गोरादेवी पत्नी रामजस के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एव चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द, हरिसिह, दलीप, कृष्ण पुत्र रामजस कुल 8 वारिस है जिसमें से चन्दो पुत्री रामजस व ताराचन्द , हरिसिह , दलीप , कृष्ण पुत्र रामजस का देहान्त हो चुका है चन्दो पुत्री रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 , ताराचन्द पुत्र रामजस के वारिस वादी व प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 व शिशपाल है , शिशपाल फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 10 है हरिसिह पुत्र रामजस के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 एवं राजेन्द्र पुत्र. हरिसिह है राजेन्द्र फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 15 ,16 है दलीप पुत्र रामजस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के जायज वारिस प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 है कृष्ण पुत्र रामजस के वारिस प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यू वारिस प्रमाण पत्र से वादी के कथनो की पुष्टि भी होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 24 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 24 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खसरा न0 107 की 10.7480हैक में वादी 4/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिव 4/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिव 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 11/120 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 का 11/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 का 1/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 20 का 1/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक किरशन , गोरीदेवी, ताराचन्द , हरिसिह का नाम कलमजन किया जाता है । एवं रोही मोजा खोपडा के खसरा न0 122/2 की कुल 4. 8560हैक भूमि में वादी 2/25 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 10 का 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिब 2/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिव 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का 11/240 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 11/240 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 1/240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 का 1/240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब 1/10 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक कृष्ण , गोरीदेवी, ताराचन्द हरिसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 377/8.3210 ,377/530 की 1.9730हैक कुल 10.2940हैक भूमि में वादी 2/25 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/50 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिव 2/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 बहिब 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक रामजस पुत्र प्रेमाराम का नाम कलमजन किया जाता है शेष हिस्से यथवात रहेगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीव तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सतवीर पुत्र ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 श्योराम पुत्र रामजस जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर ।
2. गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम (फोत)
 2/1. पप्पु पुत्री गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
 2/2. महेन्द्र पुत्र गुडडी पुत्री रामजस पत्नी बलराम जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. संन्तरों पुत्री रामजस पत्नी ओमप्रकाश जाति धानक निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. महावीर पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. सुभाष पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. शार्दुल पुत्र चन्दोदेवी पुत्री रामजस पत्नी बालुराम जाति धानक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. निराणी पत्नी ताराचन्द जाति धानकनिवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
8. राजबाला पुत्री ताराचन्द (फोत)
 8/1. धापादेवी पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
 8/2. सुमन पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
 8/3. मंन्जू पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
 8/4. समेस्ता पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
 8/5. पुष्पा पुत्री राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
 8/6. अजयसिह पुत्र राजबाला पत्नी मंगलाराम जाति धानक साकिन माकसरानी तहसील व जिला सिरसा।
9. रामली पुत्री ताराचन्द जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
10. तिजा पत्नी शिशपाल पुत्र ताराचन्द जाति धानका निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. मोहनी पत्नी हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
12. मुखाराम पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
13. शारदा पुत्री हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
14. शितल पुत्री हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
15. विमला पत्नी राजेन्द्र पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
16. सुनील पुत्र राजेन्द्र पुत्र हरिसिह जाति धानक निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर
17. विमला पत्नी दलीप जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
18. जगदीश पुत्र दलीप जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
19. गिरदावरी पुत्री दलीप पत्नी शंकरलाल जाति धानक निवासी कुंजी तहसील भादरा
20. मंन्जू पुत्री दलीप पत्नी पुरखाराम जाति धानक निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर ।
21. लिछमा पत्नी कृष्ण जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।
22. राजेश कुमार पुत्र कृष्ण जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

23. कालू पुत्र कृष्ण जाति धानक साकिन खोपडा (फोत)

23/1 रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

23/2 प्रियंका पुत्री कालूराम नाबालिग जरिये वली माता रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

23/3 कार्तिक पुत्र कालूराम नाबालिग जरिये वली माता रीना पत्नी कालूराम जाति धानक निवासी खोपडा तहसील नोहर।

24. सुमन पुत्री कृष्ण पत्नी सुभाष जाति धानक निवासी राणीसर तहसील नोहर।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 120 सन 2021 निर्णय दिनांक– 07/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपडा के खसरा न0 107 की 10.7480हैक में वादी 4/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 का 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिब 4/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 का 11/120 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 18 का 11/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 19 का 1/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 20 का 1/120 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक किरशन , गोरीदेवी, ताराचन्द , हरिसिह का नाम कलमजन किया जाता है । एवं रोही मोजा खोपडा के खसरा न0 122/2 की कुल 4.8560हैक भूमि में वादी 2/25 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 10 का 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिब 2/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 का 11/240 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 का 11/240 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 19 का 1/240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 का 1/240 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब 1/10 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक कृष्ण , गोरीदेवी, ताराचन्द हरिसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसीप्रकार रोही मोजा ललानाबास दिखनादा के खसरा न0 377/8.3210 ,377/530 की 1.9730हैक कुल 10.2940हैक भूमि में वादी 2/25 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 10 का 1/50 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 11 ता 14 बहिब 2/25 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/50 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 17 ता 20 बहिब 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 21 ता 24 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है मृतक रामजस पुत्र प्रेमाराम का नाम कलमजन किया जाता है शेष काश्तकारो के हिस्से यथवात रहेगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/3/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner